



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2019/भाद्र 28, 1941

No. 326]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2019/BHADRA 28, 1941

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

विषय: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2017

सं. एल-1/18/2010-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2017 अधिसूचित किये हैं। उक्त विनियमों में लिपिकीय त्रुटि हुई है और इसे निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

(क) खण्ड 4.2 में, "विनियम 2.2.2(iii)" शब्दों को "विनियम 2.2.2(ii)(क)" पढ़ा जाएगा।

2. उक्त संशोधन, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2017 के लागू होने की तारीख से प्रभावी समझे जाएंगे।

सनोज कुमार झा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./213/19]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**ERRATUM**

New Delhi, the 5th September, 2019

Sub: Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Fifth Amendment) Regulations, 2017.

No. L-1/18/2010-CERC.—The Central Electricity Regulatory Commission has notified the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Fifth Amendment) Regulations, 2017. A clerical error has crept in said Regulations and is rectified as per the following.

a. In clause 4.2, the words “Regulation 2.2.2(iii)” shall be read as “Regulation 2.2.2(ii)(a)”

2. The above is deemed to have come into force with effect from the date as the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Fifth Amendment) Regulations, 2017 has come into effect.

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./213/19]